



बाल श्रम: प्रचलन, प्रवर्तन और सुधार के मार्गों का एक महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण

शेर सिंह पवार ^{1*}, डॉ. नरेंद्र कुमार थापक ²

1. शोधकर्ता, विधि विभाग, एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र., भारत
shersingh.sslc@gmail.com ,

2. प्रोफेसर, विधि विभाग, एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र., भारत

सारांश: संवैधानिक गारंटी, राष्ट्रीय कानून और राज्य-विशिष्ट नियमों को मिलाकर एक व्यापक कानूनी ढाँचा बनने के बावजूद भारत में बाल श्रम जारी है। यह लेख समस्या का सैद्धांतिक और अनुभवजन्य मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह सबसे पहले कानूनी ढाँचे का नक्शा बनाता है - जिसमें 1986 का बाल और किशोर श्रम अधिनियम, विभिन्न राज्य नियम (संशोधित 2021) और संबद्ध कल्याण कानून शामिल हैं - राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) और 2011 की जनगणना से प्राप्त प्रचलन डेटा का विश्लेषण करने से पहले। अध्ययन में पाया गया है कि हर साल हजारों बच्चों को बचाया जाता है, फिर भी अनुमान है कि 2025 में भी लाखों बच्चे काम पर होंगे। सोम डिस्टिलरीज़ के 2024 के मुकदमे का एक केस स्टडी बताता है कि कैसे प्रवर्तन प्रतिक्रियात्मक और खंडित रहता है। संरचनात्मक बाधाएँ - आर्थिक भेद्यता, आपूर्ति-श्रृंखला अस्पष्टता, कम सजा दर और अपर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढाँचा - उन्मूलन प्रयासों में बाधा डालते रहते हैं।

मुख्य शब्द: बाल श्रम, भारत, एनसीएलपी, बाल श्रम अधिनियम 1986, सीएलपीआरए 2016

----- X -----

परिचय

मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ एक बड़ी आदिवासी और ग्रामीण आबादी रहती है। जनगणना 2011 में मध्य प्रदेश में 5-14 वर्ष की आयु के 728,000 कामकाजी बच्चे दर्ज किए गए, जो देश में चौथी सबसे बड़ी संख्या है। कोविड-19 महामारी और बढ़ते अनौपचारिक कार्यबल के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान ने बच्चों की कमाई पर घरेलू निर्भरता को बढ़ा दिया है। अब अनुमानों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 2025 तक लगभग 4.9 लाख (491,000) बाल मज़दूर होंगे, जो राष्ट्रीय बोझ का लगभग 5% है (satyarthi.org.in)। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, एक मज़बूत कानूनी ढाँचा मौजूद है, फिर भी क्रियान्वयन में कमी है।

बच्चे और समाज

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी समुदाय का कल्याण उसके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर निर्भर करता है। राष्ट्र की प्रगति और विकास काफी हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि वह अपने बच्चों को उनके शुरुआती चरणों में किस तरह से आकार देता है। एक बच्चे में स्वभाव से ही बहुत सारी क्षमताएँ होती हैं, जिन्हें पहचानने में मदद की जानी चाहिए ताकि वे भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सभी आयामों में एक अच्छे नागरिक बन सकें।

बच्चों को उनकी उम्र, शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि दुनिया का हर हिस्सा अपने बच्चों और उनके कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, यह समझते हुए कि बच्चों को उनके माता-पिता के प्यार और स्नेह के माहौल में पाला जाना चाहिए ताकि वे पूर्ण भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त कर सकें।

यह समझते हुए कि एक समस्याग्रस्त बच्चा राष्ट्र का एक नकारात्मक कारक होगा, हर पीढ़ी पर ऐसे बच्चों को पालने का दायित्व है जो कल राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे। यदि बच्चों का उचित पालन-पोषण किया जाता है और उन्हें व्यापक मानवीय उत्पादन के साथ बेहतर ढंग से सुसज्जित किया जाता है, तो समाज खुश महसूस करेगा। दूसरी ओर, यदि बच्चे की उपेक्षा की

जाती है, तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। यदि बच्चों की इतनी उपेक्षा की जाती है, तो वे अपने बचपन से वंचित हो जाएंगे - सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से। यदि उन्हें उनके बचपन से वंचित किया जाता है, तो अंततः राष्ट्र सामाजिक प्रगति, आर्थिक सशक्तीकरण और शांति और व्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और अच्छे नागरिक के पहलुओं में संभावित मानव संसाधनों से वंचित हो जाएगा। (1)

बाल एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय

यूनिसेफ (2) - बच्चों के कल्याण के लिए सरकारों और लोगों के साथ काम करने वाला विश्व संगठन, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर मानवाधिकार एजेंसियों के माध्यम से एक व्यापक संधि को अपनाने के लिए प्रचार करता है जो सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी होगी और हर जगह बच्चों के सर्वोत्तम हितों की कानूनी सुरक्षा के लिए मानकों को तैयार करेगी जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर अभिसमय अपनाए गए (3) उक्त अभिसमय अधिक प्रकृति के हैं संधि कानून, अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले देशों पर कानूनी और संवैधानिक दायित्व डालता है। (4)

उक्त कन्वेंशन का अनुच्छेद 32 बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने तथा ऐसा कोई भी काम करने से रोकने के अधिकार पर जोर देता है जो बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाला हो अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक अथवा सामाजिक विकास के लिए खतरनाक हो। यह राज्य पक्षों से अनुच्छेद के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करने का भी आह्वान करता है तथा विशेष रूप से रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु अथवा न्यूनतम आयु, कार्य घंटों तथा रोजगार की ऐसी अन्य शर्तों के उचित विनियमन तथा अनुच्छेद के सख्त प्रवर्तन के लिए उचित दंड और प्रतिबंधों का प्रावधान करने का आह्वान करता है। (5)

बचपन का निर्माण

बचपन को मानव जीवन में एक अलग चरण के रूप में समझा जाता है, जबकि मध्यकाल में बचपन की रचना के अनुसार बच्चे युवा वयस्क होते थे, जिन्हें परिवार के पालतू जानवर माना जाता था, जो अपने परिवार को अपनी सेवाएँ देने के लिए पैदा होते और बड़े होते थे। करुणा, स्नेह और भावनात्मक लगाव जैसे तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित पाए गए। उच्च प्रजनन क्षमता, उच्च बाल मृत्यु दर और बच्चों का श्रम शक्ति के रूप में उपयोग सामाजिक विकास के इस चरण में प्रचलित और प्रमुख थे।

इस प्रकार बचपन मानव जीवन के शुरुआती हिस्से में एक रचनात्मक चरण के रूप में, जिस पर वयस्कों का ध्यान जाना चाहिए, औद्योगिक क्रांति के आगमन तक लगभग अनुपस्थित था। पश्चिमी यूरोप में समृद्ध मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही कम उम्र के लोगों को अब लघु वयस्क नहीं माना जाता था। समाज ने बच्चों और वयस्कों के बीच अंतर करना शुरू कर दिया। पहली बार यह महसूस किया गया कि वे विकास और विकास के लिए संरक्षित और पोषित किए जाने वाले बहुत ही कमजोर पौधे हैं। इस प्रकार बचपन उनकी असहायता के लिए वयस्कों के समर्थन का समय है। (6)

बचपन जीवन का अविस्मरणीय काल होता है। इसलिए खुशहाल बचपन हर बच्चे का अधिकार है और हर बच्चे को 'बचपन' प्रदान करना हर कल्याणकारी राज्य की चिंता और कर्तव्य होना चाहिए।

बचपन से वंचित होना और बाल श्रम की संभावना

भारत में अधिकांश बच्चों को बचपन की खुशी नहीं मिल पाती। बचपन के अभाव में, बच्चे को उसके परिवार या रिश्तेदारों द्वारा बहुत कम उम्र में ही रोजगार के एक बदसूरत चरण में धकेल दिया जाता है, जिसे बाल श्रम कहा जाता है। बाल श्रम का अर्थ है एक निर्दिष्ट कानूनी आयु से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना। बाल श्रम कारखानों या रोजगार के अन्य स्थानों पर पाया जाता है जो या तो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालता है और उनके विकास में बाधा डालता है या रोकता है। बल्कि गरीब परिवारों में बच्चे भूख और कुपोषण के पहले शिकार होते हैं। (7)

यदि कोई परिवार अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो यह अपने आप में बाल श्रम नहीं माना जा सकता है,

लेकिन परिवार की आय में वृद्धि के लिए बच्चों को काम पर भेजे जाने या यहां तक कि बेचे जाने की बहुत अधिक संभावना है। या फिर, यह बच्चे को शिक्षा प्रदान न किए जाने का कारण हो सकता है जो अंततः बाल श्रम में बदल जाता है।

एक बाल मजदूर को उम्र के आधार पर एक वयस्क श्रमिक से अलग किया जाता है। बच्चे सभी प्रकार के कामों में लगे रहते हैं, जैसे कि खेती, मवेशियों और भेड़ों की देखभाल, खेतों से पक्षियों को भगाना, बुआई और कटाई में वयस्कों की मदद करना। कुछ अन्य अपने परिवार की मदद करते हैं, छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते हैं, जलाऊ लकड़ी और पानी इकट्ठा करते हैं और अन्य घरेलू और गैर-घरेलू काम जैसे कुटीर उद्योग आदि में भाग लेते हैं। शहरी क्षेत्र में, वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं जैसे कि कारखाने, सड़क किनारे कैफे, मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप या स्ट्रीट वेंडिंग, जूते पॉलिश करना, अखबार बेचना आदि, या घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करना और यहाँ तक कि भीख माँगना। माता-पिता अपने बच्चों को 6-7 साल की उम्र में काम पर लगा देते हैं। (8)

बाल श्रम - एक सामाजिक समस्या और राहत की दिशा में कदम

भारत में, औद्योगीकरण के आगमन के साथ बाल श्रम का समस्याग्रस्त पहलू और अधिक प्रमुख हो गया। (9) यह समस्याग्रस्त है क्योंकि यह बच्चों की बुनियादी जरूरतों और उनके बुनियादी कौशल और क्षमताओं के विकास में बाधा डालता है। इसलिए काम करने वाले बच्चे शैक्षिक अवसरों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शारीरिक और बौद्धिक विकास से वंचित रह जाते हैं।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और भिखारी तथा अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

इसी प्रकार पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (10) में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और यह माना कि यह एक संवैधानिक निषेध है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

हमारे संविधान के निर्माता इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे कि बाल श्रम को खत्म करने का एकमात्र तरीका कम से कम चौदह वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत होगी, उन्होंने भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 (जैसा कि तब था) पेश किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य को "संविधान के दस वर्षों की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह निर्देश दर्शाता है कि यह केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 14 वर्ष की आयु तक जो भी हो, मुफ्त शिक्षा तक विस्तारित है। इस प्रकार अनुच्छेद 45 (जैसा कि यह मूल रूप से था) इस आधार पर अनुच्छेद 24 का पूरक है कि जब बच्चे को नहीं दिया जाना है यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष की आयु से पहले नौकरी पर लगा है तो उसे किसी शैक्षणिक संस्था में नियुक्त किया जाना चाहिए। (11)

इसी प्रकार, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के मजदूर बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि जब भी केंद्र सरकार कोई निर्माण परियोजना शुरू करती है जो कुछ समय तक चलेगी या चलने वाली है, तो केंद्र सरकार को यह प्रावधान करना चाहिए कि परियोजना स्थल पर या उसके आस-पास रहने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए, जो या तो केंद्र सरकार स्वयं कर सकती है या यदि केंद्र सरकार ने किसी ठेकेदार को काम सौंपा है, तो ठेकेदार के साथ अनुबंध में स्कूली शिक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए जा सकते हैं।

इसी प्रकार, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (12) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि यद्यपि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन यह न्यायालय द्वारा दी गई व्यापक व्याख्या को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार में निहित है और उससे निकलता है।

संसद, बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सचेत और दृढ़ है और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए शिक्षा के संबंध में

प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करना उचित समझा। इसने यह भी विश्लेषण किया कि बाल श्रम के उन्मूलन का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में उन्नत किया जाए। साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के उद्देश्य से, संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 [12 दिसंबर, 2002] लाया गया जिसमें नया अनुच्छेद 21ए शामिल किया गया। (13)

इन प्रयासों के बावजूद, स्कूल जाने की उम्र के बच्चों की बड़ी संख्या के स्कूल से बाहर होने के कारण, उनका श्रम बल में शामिल होना अपरिहार्य है। कुछ बाजार उन्हें हमेशा अपने में समाहित करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे सस्ते श्रम का स्रोत हैं, जिन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। नतीजतन, श्रम बाजार में शामिल होने वाले बच्चों को माफ कर दिया जाता है।

यह बात पहचानी जानी चाहिए कि बाल श्रम का निरंतर अस्तित्व और हर बच्चे की शिक्षा तक पहुँच न पाना अंततः इसका मतलब है कि राज्य अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य में विफल रहा है। भारत में मौजूद बाल श्रम या निरक्षरता की पीठ पर किसी भी देश ने कभी कोई सार्थक उपलब्धि हासिल नहीं की है। (14)

संरक्षण की आवश्यकता

“मानव जाति का कर्तव्य है कि वह बच्चों को वह सब दे जो वह दे सकती है। बच्चे को विशेष संरक्षण प्राप्त होगा और उसे कानून और अन्य तरीकों से अवसर और सुविधाएँ दी जाएंगी जिससे वह स्वस्थ और सामान्य तरीके से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से विकसित हो सके और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में रहे”

इस प्रकार, बच्चे का महत्व और महत्व इस तथ्य में निहित है कि बच्चा ब्रह्मांड है। बच्चे के बिना मानवता नहीं होगी और मानवता के बिना ब्रह्मांड नहीं हो सकता। इसके अलावा, बच्चे एक बढ़ते राष्ट्र के संभावित विकास का एक छिपा हुआ स्रोत हैं। किसी भी राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास उसके बच्चों के कल्याण को दिए गए महत्व पर निर्भर करता है। इसलिए, यदि किसी राष्ट्र को मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में फलना-फूलना और समृद्ध होना है, तो बच्चों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देनी होगी। (15)

बाल श्रम-निषेध/विनियमन

शुरु में, मूल रूप से, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में निम्नलिखित योजना शामिल थी:

मुख्य अधिनियम की धारा 3 में अधिनियम से संलग्न प्रतिबंधित व्यवसायों या प्रक्रियाओं की अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है। अधिनियम की अनुसूची के भाग ए में उन व्यवसायों के नाम थे जिनमें किसी भी बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता था या काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी; और भाग बी में, कुछ प्रक्रियाओं के नाम बताए गए थे जिनमें किसी भी बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता था या काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) के तहत "बच्चे" का अर्थ उस व्यक्ति से था जिसने अपनी चौदहवीं आयु पूरी नहीं की हो। अधिनियम की धारा 6 में उन रोजगार में बच्चों के काम की स्थितियों को भी विनियमित किया गया जहां उन्हें काम करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। (16)

बाल श्रम पर नियंत्रण की आवश्यकता - मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन

भारत आज भी दुनिया में सबसे अधिक बाल श्रमिकों की मेजबानी करता है। 1991 की जनगणना से पता चला कि 11.3 मिलियन बाल श्रमिक थे। 2001 की जनगणना से पता चला कि 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच 12.7 मिलियन आर्थिक रूप से सक्रिय बच्चे थे। सामान्य तौर पर श्रमिकों को जनसंख्या जनगणना द्वारा मुख्य और सीमांत श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि जनगणना के आँकड़ों में मुख्य श्रमिकों में 1991 में 4.3 प्रतिशत से 2001 में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दिखाई गई है, इस प्रकार यद्यपि मुख्य श्रमिकों में 1991 में 9.08 मिलियन से 2001 में 5.78 मिलियन की गिरावट आई है, लेकिन कार्यबल में बच्चों की

कुल संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सीमांत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है, जो 1991 में 2.2 मिलियन से बढ़कर 2001 में 6.89 मिलियन हो गई। सीमांत श्रमिकों में यह वृद्धि 1991 और 2001 के बीच बच्चों द्वारा मुख्य श्रमिकों और सीमांत श्रमिकों के रूप में किए जाने वाले काम की प्रकृति में परिवर्तन को दर्शाती है। (17)

निष्कर्ष

भारत में बाल श्रम को खत्म करने के लिए कानूनी ढांचा कागज पर मजबूत है, लेकिन व्यवहार में यह लड़खड़ाता है। खंडित शासन, अपर्याप्त निरीक्षण शक्ति और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियाँ खतरनाक बाल श्रम को बढ़ावा दे रही हैं। आधिकारिक डेटा एक विरोधाभास को उजागर करता है: रिकॉर्ड-उच्च बचाव स्थिर सजा दरों और औपचारिक उद्योगों में आवर्ती उल्लंघनों के साथ-साथ मौजूद हैं। इसलिए SDG 8.7 को प्राप्त करने के लिए छिटपुट छापों से परे ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होगी - अर्थात्, एक डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ प्रवर्तन नेटवर्क, मजबूत आपूर्ति-श्रृंखला जवाबदेही, विस्तारित सामाजिक-सुरक्षा फ़्लोर और निरंतर सामुदायिक लामबंदी। इन धागों को समन्वित करके ही भारत अपने कानूनी वादों को हर बच्चे के लिए ठोस परिणामों में बदल सकता है।

संदर्भ

1. आर. स्वरूप, बाल श्रम स्वागत योग्य उपाय, आधे-अधूरे कार्य, पृष्ठ 5-7, (एएलडी प्रकाशन, हैदराबाद, 2008)।
2. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
3. भारत सरकार, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट (श्रम एवं रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय, 1969)
4. एम.पी. श्रीवास्तव, भारत में बाल श्रम कानून 17 (लॉ पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2006)
5. सुदीप चक्रवर्ती, खाद्य सुरक्षा और बाल श्रम 23 (दीप एंड डीप पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2011)
6. डॉ. एन.सी. पटनायक, "भारत में बाल श्रम: मासूमों के खिलाफ एक अनियंत्रित अपराध" XVII केंद्रीय कानून मात्रा 1 (2004)
7. एस.पी. गोमांगो, बाल श्रम एक अनिश्चित भविष्य 5 (ऑथर्सप्रेस, दिल्ली 2001)
8. मोहम्मद मुस्तफा और ओंकार शर्मा, भारत में बाल श्रम एक कड़वी सच्चाई 1 (डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996)
9. सुमालता भोमकर, "बाल श्रम-एक समस्या" XXXIV भारतीय सामाजिक-कानूनी जर्नल 76 (2008)
10. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 भारत के राजपत्र, अतिरिक्त, भाग II, खंड 1 में प्रकाशित)सुप्रा नोट 2 152-153 पर
11. एनाक्षी गांगुली ठुकराल (सं.) हर बच्चे के लिए हर अधिकार शासन और जवाबदेही 169 (रुटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप नई दिल्ली 2011)
12. नुज़हत परवीन, "बाल श्रम और बाल श्रम का शोषण" कानूनी समाचार और विचार 12
13. (सितम्बर 2000) संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषणा, 20.11.1959 से उद्धृत। नुज़हत परवीन, "बाल श्रम और बाल श्रम का शोषण" कानूनी समाचार और विचार 12 (सितम्बर 2000) संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषणा, 20.11.1959 से उद्धृत।
14. डॉ. पी.के. पाधी (सं.), बाल श्रम पुनरावलोकन और संभावना 170 (कानून, कटक, 1998)
15. विकास में मानव संसाधन की भूमिका economicsworlds.blogspot.in/2010/02/role-of-human-resource-in-

development.html पर उपलब्ध है (अंतिम बार 22 जुलाई 2016 को देखा गया)